

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : 543

दिनांक 1-2-22

परिपत्र

राजभवन द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के स्तर पर भविष्य में की जाने वाली भर्तियों के संबंध में पूर्व निर्देश दिनांक 19.06.2018 को जारी किये गये हैं।

यह संज्ञान में आया है कि कतिपय कुलपतिगण, जिनका कार्यकाल अल्पावधि का शेष रह जाता है, उनके द्वारा विभिन्न नीतिगत निर्णय लिये जाते हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः इस संबंध में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं कि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण अपने कार्यकाल के अंतिम 03 महीनों में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे।

समस्त संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय उक्त निर्देशों की भविष्य में पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(सुबीर कुमार)
प्रमुख सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : 544

दिनांक 01-2-22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. शासन सचिव, युवा मामलात एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
13. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान